आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद।

जमाबंदी रद्द वाद संख्या--07 ए0सी0 / 2017--18

सरकार बनाम जालीम सिंह,

आदेश

16/08/19

यह अभिलेख अंचल अधिकारी, काको के पत्र संख्या--526 दिनांक--16.05.2017 के द्वारा अवैध ढंग से चल रहे जमाबंदी को रद्द करने हेतु प्रपत्र--XV में खतियान के साथ दिये गये प्रस्ताव के अनुसार निम्न विवरण की जमीन गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है।

जमीन का विवरण निम्न प्रकार है:--

रैयत का नाम एवं पता	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	जमाबंदी सं0	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
जालिम सिंह, पिता--पुनित यादव, ग्राम--औलिया चक,	472	59	147	05डी0	6	गैर मजरूआ मालिक

अंचल अधिकारी, काको द्वारा उक्त जमीन की जमाबंदी जालिम सिंह, पिता--पुनित यादव, ग्राम--औलिया चक के नाम से जमाबंदी संख्या--6 चल रही है। जिसे रद्द करने हेतु वाद लाया गया है।

द्वितीय पक्ष को इस कार्यालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की गयी है तथा सूचना का तामिला प्राप्त है जिसमें उल्लेखित है कि विपक्षी औलिया चक में नहीं रहते है, पटना में रहते है तदानुसार विपक्षी को उनके पटना स्थित पता पर भी नोटिस निर्गत किया गया इसके बवाजूद उपस्थित होकर पैरवी नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, काको में अपने पत्रांक--29, दिनांक--06.01.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि विवाद का मामला प्रथम पक्ष डा0 उमेश प्रसाद यादव, पिता--लालदेव यादव एव द्वितीय पक्ष वृजनंदन यादव वो दिनेश प्रसाद मंडल राजेन्द्र यादव, पिता--रामबली यादव ग्राम--कोठिया प्रखंड काको दोने पक्ष से संबंधित है। जमीन सर्वे खतियान के अनुसार मौजा बडहरा थाना--472 खाता--59 प्लॉट--147 रकवा--05 डी0, गैरमजरूआ मालिक किस्म प्रति कदीम है। प्रस्तावित जमीन को द्वितीय पक्ष वृजनंदन यादव वगैराह के परिवार के लोग वजरीय केवला जालीम सिंह पिता--पुनित सिंह, साकिन--औलियाचक से खरीद किया गया है। जमीन जालीम सिंह को बंदोबस्ती से प्राप्त था जो जमीन बिक्री किया गया है। बंदोबस्ती की विवादित जमीन हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है बल्कि विरासत योग्य जीमन होता है। वर्तमान समय वृजनंन्दन यादव के द्वारा ईट बालू रखा हुआ है। बंदोबस्ती के उपरांत लगान रसीद निर्गत नही है। इस